तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भोमाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लोहावट) **सू.अ.अ. अपील संख्या 34 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भोमाराम पुत्र दीपाराम जाट, पता पल्ली–1, तहसील लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.12.2019 में उसके द्वारा (1) हलका पटवारी पल्ली द्वारा दिनांक 20.06.2018 को मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दर्ज किये गये फौतेदगी नामान्तरकरण की प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लोहावट) से जरिये पत्रांक 203 दिनांक 17.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी भोमाराम ने तहसील कार्यालय लोहावट में ग्राम पल्ली के विभिन्न नामान्तरकरण, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व गिरदावरी की प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रार्थना पत्र देने पर हलका पटवारी को दिनांक 26.12.2019 को आदेश दिया गया था तथा हलका पटवारी द्वारा दिनांक 01.01.2020 को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए तैयारकर आवेदक को नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर उपलब्ध करवाने हेतु मौके पर पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि मौके पर प्रार्थी का भाई उपस्थित मिला तथा भोमाराम राजकीय कर्मचारी होना बतायां तथा पटवारी ने उसके भाई को सूचित किया गया कि नकले की नियमानुसार 340 रूपये जमा कराकर प्राप्त कर ले, परन्तु आवेदक को पटवारी द्वारा सूचित करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। रिपोर्ट के अन्त में चाही गई रिकॉर्ड की सूचना के लिए नियमानुसार शुल्क देकर सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को जरिये पत्रांक 199 दिनांक 14. 02.2020 के सूचित किया गया, बताया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का शुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण नहीं दी गई अतः अपील इस स्टेज पर सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी / प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	